



# प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)



## ओजस आवास विकास मटकोटा, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर

ओजस बिल्ड वेल लेकर आ रहे है मटकोटा, रुद्रपुर की बेहतरीन लोकेशन में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत तैयार किया गया रिहायशी टाउनशिप, लगभग 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैली परियोजना चारों ओर से प्राकृतिक परिवेश, आरामदायक एवं सुखद जीवनशैली का एहसास देता है।

सभी तरह के सरकारी मापदण्डों का पालन करते हुए उच्च तकनीक व आधुनिक संसाधनों से बनी ये 20,235.00 वर्गमीटर पर G+3 मंजिला सभी सुविधाओं जैसे नर्सिंग हॉम, मॉडन स्कूल, कॉलेज व औद्योगिक क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है।

05 Acres (20,235.00 Sq.mtr.)

**OJAS Build Well (P) Ltd.**

H.O. : E-55, 5th Floor, Himalaya House,  
23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110001

Local Address : Awas Vikas LIG 116/22,  
(Behind MRF Tyres), Haldwani Road,  
Rudrapur. Contact No. 9319732736

Contact No. 9319732736


PMAY  
के अन्तर्गत  
**3.50 लाख**  
की विशेष  
छूट

**OJAS**

RERA No. : UKREP09220000445

CIN No. : 070101DL2016PTC292953

## SINGLE UNIT PLAN



<b>Carpet Area</b>	=	<b>23.04 Sqm.</b>
<b>Wall Area</b>	=	<b>2.37 Sqm.</b>
<b>Builtup Area</b>	=	<b>25.41 Sqm.</b>
<b>Balcony Area</b>	=	<b>1.834 Sqm.</b>



## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्माणधीन/प्रस्तावित/दुर्बल आर्य वर्ग भवन (फ्लैटों) हेतु नियम एवं शर्तें।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों को उत्तराखण्ड आवास नीति की शर्तों के अंतर्गत फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा। आवंटन हेतु आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल पर होना अनिवार्य होगा, तथा आवंटन पत्र पर यू0आई0डी0 अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. पी0एम0ए0वाई0 के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थियों की अधिकतम वार्षिक आय प्राविधानों के अनुसार होगी।

श्रेणी	अधिकतम वार्षिक आय
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0)	3.00 लाख तक

3. लाभार्थी का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।
4. लाभार्थियों को आवंटित आवास को परिवार की प्रमुख महिला सदस्य के नाम से आवंटित किया जायेगा। परिवार में कोई भी महिला सदस्य न होने अथवा महिला सदस्य के वयस्क न होने की स्थिति में, परिवार के प्रमुख पुरुष सदस्य के नाम से आवास आवंटित किया जा सकता है।
5. लाभार्थियों की पात्रता की जांच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार की जायेगी।
6. प्रति ईकाई ई0डब्ल्यू0एस0 निर्माण की लागत उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रू 6.50 लाख निर्धारित की गयी है, जिसमें रू0 1.50 लाख केन्द्रांश, रू0 2.00 लाख राज्यांश एवं अवशेष रू0 3.00 लाख लाभार्थी का अंश निर्धारित किया गया है। उक्त आवसीय योजना में प्रति ईकाई ई0डब्ल्यू0एस0की निर्माण लागत रू 6.50 लाख निर्धारित की गयी है।
7. निर्मित आवासों का विक्रय आवंटी/पात्र लाभार्थी निजी निर्माणकर्ता द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निजी निर्माणकर्ता द्वारा क्रेता/लाभार्थी के साथ एक विक्रय अनुबंध किया जायेगा तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त शर्तों के अनुसार कब्जा हस्तान्तरण कर निजी निर्माणकर्ता द्वारा आवंटी लाभार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया जायेगा।
8. निजी निर्माणकर्ता द्वारा पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की निगरानी में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं राज्य सरकार की उत्तराखण्ड आवास नीति के आधीन की जायेगी।
9. भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान आवास नीति के अनुसार उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के माध्यम से आवास नीति के अनुसार निजी निर्माणकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी, जबकि लाभार्थी का अंशदान लाभार्थी द्वारा स्वयं अग्रलिखित समय सारणी के अनुसार किया जायेगा।



## लाभार्थी द्वारा देय समय सारणी के अनुसार:-

क्र.स.	निर्माण का चरण	भुगतान का प्रकार	धनराशि
1.	पंजीकरण/बुकिंग के समय	लाभार्थी द्वारा	5,000.00
2.	प्लैन्थ लेवल के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	55,000.00
3.	ग्राउण्ड लेवल के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	40,000.00
4.	प्रथम तल के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	40,000.00
5.	द्वितीय तल के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	40,000.00
6.	तृतीय तल के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	40,000.00
7.	आंतरिक फिनिशिंग के कार्य पर	लाभार्थी द्वारा	30,000.00
8.	बाह्य फिनिशिंग के कार्य पर	लाभार्थी द्वारा	30,000.00
9.	कब्जा हस्तांतरण के पूर्व	लाभार्थी द्वारा	20,000.00
10.	कुल भुगतान	लाभार्थी द्वारा	3,00,000.00

**नोट:** यदि उत्तराखण्ड शासन द्वारा **Payment Plan** में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवास का आवंटन निजी निर्माणकर्ता द्वारा पात्र लाभार्थी सूची से आवास नीति के अन्तर्गत परिषद् की सहमति के बाद ही की जायेगी।
11. पंजीकृत लाभार्थी को ब्रोशर में अधिकृत बैंको के माध्यम से निर्धारित पंजीकरण धनराशि रुपये 5,000/- जमा कराते हुए आवेदन फार्म जमा कराना होगा।
12. पंजीकृत लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा। जिसमें सर्वप्रथम विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को यथा सम्भव भूतल पर लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा, तदोपरान्त शेष पंजीकृत आवेदकों के मध्य फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा। फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान आवंटन हेतु शेष बचे पंजीकृत लाभार्थियों के मध्य 10% प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।
13. लॉटरी ड्रॉ प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त पंजीकृत असफल लाभार्थियों की पंजीकरण धनराशि रुपये 5,000/- निजी निर्माणकर्ता द्वारा एक माह के अन्दर बिना व्याज के वापस (रिफण्ड) कर दी जायेगी।
14. आवेदक को उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास करने की तिथि का साक्ष्य जिसमें



आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र या अन्य कोई साक्ष्य जो किसी शासकीय कार्यालय /विभाग/संस्था द्वारा निर्गत किया गया हो तथा इसके अतिरिक्त दो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो पंजीकरण के समय जमा कराने होंगे।

15. लाभार्थी द्वारा पंजीकरण के साथ एक सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि लाभार्थी का सम्पूर्ण भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं है।
16. लाभार्थी द्वारा धनराशि समय सारणी के अनुसार जमा न कराये जाने की स्थिति में लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत लाभार्थी को आवंटन किया जायेगा तथा लाभार्थी की जमा आवंटन धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. भवन (फ्लैट) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त यदि कोई आवंटी/लाभार्थी शर्तों का उल्लंघन करने, अपात्र सिद्ध होने एवं तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराता है तो ऐसी परिस्थितियों में जमा धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर कब्जा वापस ले लिया जायेगा।
18. लाभार्थियों को आवंटित आवास का भौतिक कब्जा प्राप्त होने से, 03 माह की अवधि में आवास में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। अन्यथा लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के पात्र लाभार्थी को आवंटित कर दिया जायेगा तथा आवंटी/लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि में रेरा के मानकों के अनुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि निजी निर्माणकर्ता द्वारा एक माह के अन्दर वापिस (रिफण्ड) की जायेगी।
19. चयनित लाभार्थियों द्वारा यदि अपरिहार्य कारणों से आवास प्राप्त हेतु असमर्थता/अनिच्छा व्यक्त की जाती है/अथवा उसका नाम पात्रता सूची से किसी कारणवश हटा दिया जाता है, तो इस स्थिति में प्रतीक्षा सूची में वरीयता धारित करने वाले लाभार्थी का चयन किया जा सकेगा तथा आवंटी/लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि में रेरा के मानकों के अनुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि निजी निर्माणकर्ता द्वारा एक माह के अन्दर वापिस (रिफण्ड) की जायेगी।
20. पंजीकरण हेतु चिन्हित लाभार्थियों/आवंटियों के साथ निजी निर्माणकर्ता एवं लाभार्थी के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
21. लाभार्थी द्वारा 10 वर्षों की अवधि तक उक्त आवास को किसी अन्य को विक्रय नहीं किया जायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में लाभार्थी का आवंटन तत्काल निरस्त कर पात्र लाभार्थी को तत्समय आवास नीति के अनुसार आवास आवंटित कर दिया जायेगा। और ऐसी स्थिति में लाभार्थी/आवंटी द्वारा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
22. लाभार्थी द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त किये जाने की दशा में लाभार्थी / बैंक/ निर्माणकर्ता के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
23. स्वीकृत मानचित्र एवं ब्रोशर में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप स्थल पर निर्माण कार्य कराने एवं निर्धारित समय के अंतर्गत लाभार्थी को कब्जा स्थानान्तरण कर विक्रय पत्र निष्पादित कराने का दायित्व निजी निर्माणकर्ता का होगा। इसी प्रकार निर्धारित भुगतान सारणी के अनुसार भुगतान का उत्तरदायित्व लाभार्थी का होगा। दोनों ही पक्ष वाद-विवाद की स्थिति में परस्पर विचार-विमर्श कर विवाद का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

तद्पोरान्त भी यदि कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है, तो वह उचित फोरम में शिकायत दर्ज कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। किसी भी पक्षकार द्वारा इस हेतु आवास एवं विकास परिषद् अथवा राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जायेगा और ना ही कोई अनुतोष राज्य सरकार या उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त करने हेतु दावा किया जायेगा।

24. राज्य सरकार समय-समय पर उत्तराखण्ड आवास नीति के प्राविधानों की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार व्यापक जनहित में नीति के प्राविधानों में उचित संशोधन करेगी। जो लाभार्थी को स्वीकार्य होगा।
25. दुर्बल आय वर्ग प्रति फ्लैट का कवर्ड ऐरिया 25.41 वर्ग मीटर, कार्पेट ऐरिया 23.04 वर्ग मीटर एवं वॉल ऐरिया 2.37 वर्ग मीटर, बॉलकोनी 1.834 वर्ग मीटर है।
26. आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय फ्लैट के कब्जे के उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
27. आवंटित भवन (फ्लैट) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मान्य नहीं होगा।
28. फ्लैट के सबसे ऊपरी तल के छत का अधिकार निजी निर्माणकर्ता में निहित होगा।
29. निजी निर्माणकर्ता द्वारा परियोजना के अनुरक्षण एवं रखरखाव हेतु एक Resident Welfare Association का गठन सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु लाभार्थी द्वारा एक मुश्त अनुरक्षण शुल्क रुपये-16,140.00 देय होगा। इस हेतु Resident Welfare Association का बैंक में एक अलग से खाता खोला जायेगा। जिसमें समस्त अनुरक्षण शुल्क एवं मासिक, वार्षिक रखरखाव शुल्क जिसको Resident Welfare Association द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जमा कराया जायेगा। इस हेतु प्रथम दो वर्ष हेतु प्रतिमाह शुल्क-लाभार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने के अगले माह से देय होगा। दो वर्ष उपरान्त Resident Welfare Association मासिक शुल्क को पुनः सुनिश्चित करेगी। इसके उपरान्त Resident Welfare Association समस्त सार्वजनिक सुविधाओं एवं वाह्य अनुरक्षण करेगी।
30. भवन (फ्लैट) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने से पूर्व में लाभार्थी को उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार प्रशासनिक शुल्क रुपये-16,140.00 पृथक से जमा कराना होगा जो कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् को देय होगा।
31. भवन (फ्लैट) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त फ्लैट की आन्तरिक देखभाल एवं अनुरक्षण का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा तथा योजना के अन्तर्गत वाह्य अनुरक्षण हेतु आवंटियों को अपनी पंजीकृत वैलफेयर सोसाइटी का गठन कर पंजीकृत कराना होगा एवं नियमानुसार संचालन करना होगा।
32. आवंटित भवन (फ्लैट) में विद्युत कनेक्शन एवं जल संयोजन स्वयं कराना होगा।
33. आवंटन पश्चात् एवं विक्रय पत्र निष्पादित होने से पूर्व में किसी आवंटी के मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसों के नाम पर नियमानुसार वारिसान प्रमाण पत्र/ उत्तरजीवी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नामान्तरण किया जा सकेगा।

34. निर्मित भवन (फ्लैट) "जैसा है जहां है" के आधार पर आवंटित किये जायेंगे इस संबंध में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
35. आवंटन उपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में आवंटित फ्लैट का नम्बर व तल का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
36. आवंटी/लाभार्थी को फ्लैट का आवंटन केवल आवास के प्रयोजन हेतु किया जायेगा। आवंटी/लाभार्थी फ्लैट का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। यदि आवंटी/लाभार्थी आवंटित फ्लैट को आवास के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में आवंटी/लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
37. रेरा के अन्तर्गत योजना का पंजीकरण संख्या **UKREP09220000445** है।
38. उक्त आवंटन प्रधानमंत्री, आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किये जा रहे हैं इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सभी शर्तें लाभार्थी को मान्य होंगी एवं लाभार्थी पर लागू होंगी।
39. आवंटन की सभी नियम व शर्तें लाभार्थी को स्वीकार हैं इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
40. योजना के अन्तर्गत जारी किये गये सभी नियम/शर्तें ब्रोशर में उल्लिखित शर्तें घोषणा पत्र में उल्लिखित शर्तें एवं योजना से सम्बन्धित समय-समय पर जारी नियम व शर्तें एवं अनुबन्ध के रूप में लागू होंगी और आवंटी को पूर्ण रूप से मान्य होगी।



**PROJECT TITLE:**

PROPOSED EWS GROUP HOUSING UNDER PRADHAN MANTRI AWASTHA YOJANA ( MODEL 2 )

SITE AT : KHASRA NO. - 86/1, 87, 88/1 & 91

WILL. MATKOTA, TEH - RUDRAPUR DISTT. UDHAM SINGH NAGAR, UTTRAKHAND

**APPLICANT**

OJAS BUILDWELL PVT. LTD.  
G-127, 12TH FLOOR, HIMALAYA HOUSE  
KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI

**LAND OWNER**

SHRI RANDHIR SINGH,  
SHRI GURDEV SINGH  
R/O - VILL-MATKOTA, TEH-RUDRAPUR  
DISTT.- UDHAM SINGH NAGAR

KHASRA NO	AREA
KE NO - 86/1	0.2573 HEC = 2573.129
KE NO - 87	0.847 HEC = 847.0
KE NO - 88/1	0.0466 HEC = 466.871
KE NO - 91	0.8725 HEC = 8725.0
<b>TOTAL</b>	<b>= 2.0335 HEC = 20335.0SQM</b>

**NOTES**

**OWNER SIGN**

**ARCHITECT SIGN**

HDC Architects  
A: Rishav Chhabra  
CAZ0218 9629  
Aakash Colony, Rudrapur (U.S.A.)



C-91- 80769005 96704193  
A : Aakash colony, Opp. Sunshin Hotel, Rudrapur,  
U.S.Nagar, UK 26153


**ARCHITECT**

**DATE**

**SCALE**

**DWG. NO.**

**REV. NO.**



S.NO.	AREA STATEMENT DESCRIPTION	AREA IN SQM	REMARK
1	TOTAL SITE AREA	20335.0	
2	ROAD AREA	524.46	
3	NET PLOT AREA	19710.54	
4	REQUIRED GREEN AREA	1971.05	10% OF SITE AREA
5	PROVIDED GREEN AREA	2051.32	10.50% OF SITE AREA
6	MAXIMUM COMMERCIAL PLOT AREA	2956.58	75% OF PERMISSIBLE FAR
7	PROPOSED COMMERCIAL PLOT AREA	722.88	1.83 % OF PERMISSIBLE FAR
	COMMERCIAL-1 PLOT AREA	361.43	
	COMMERCIAL-2 PLOT AREA	361.43	
8	REQUIRED PUBLIC/SEMI-PUBLIC PLOT AREA	300.0	FOR UP TO 5000 PERSONS
9	PROPOSED PUBLIC/SEMI-PUBLIC PLOT AREA	350.0	
10	COMMERCIAL-1 GROUND COVERAGE	198.78	90% GROUND COVERAGE
	COMMERCIAL-2 GROUND COVERAGE	198.78	90% GROUND COVERAGE
12	PUBLIC/SEMI PUBLIC GROUND COVERAGE	210.0	60% GROUND COVERAGE
13	RESIDENTIAL GROUND COVERAGE	6761.99	
14	PUBLIC SEMI / PUBLIC TOTAL COVERED AREA	630.0	1.5 FAR
15	COMMERCIAL-1 TOTAL COVERED AREA	542.14	1.5 FAR
	COMMERCIAL-2 TOTAL COVERED AREA	542.14	1.5 FAR
16	RESIDENTIAL TOTAL COVERED AREA	27127.96	
17	TOTAL COVERED AREA	28842.24	
18	REQUIRED GROUND COVERAGE	9855.27	50 %
19	PROPOSED GROUND COVERAGE	7369.95	37.49 %
20	REQUIRED F-A-R	38421.05	2.0
	PROPOSED F-A-R	28842.24	1.46
21	UNIT REQUIRED (HECT-500 UNIT)	1011 UNITS	
	UNIT PROVIDED (EWS)	929 UNITS	
23	POPULATION DENSITY (5 PERSON UNIT)	4610 PAX.	5 X 929 = 4640
24	PARKING AREA	929 (8 = 116 ECS)	
	(EWS) 1 ECS (23 SQM) FOR 8 UNITS	117 ECS	
	PARKING AREA PROVIDED (ECS)	2061.32 SQM	
	PARKING AREA PROVIDED	2672.25 SQM	

**RAIN WATER HARVESTING CALCULATION**

GROUND COVERED AREA (ROOF AREA)	7589.55 SQM
RWHT VOLUME TILL 400 SQM	3.5 CUM
RWHT VOLUME BALANCE COVERAGE (Balance Area x (1.5 / 50))	69.89 CUM
TOTAL RWHT VOLUME REQUIRED	73.39 CUM
PROPOSED VOLUME OF SINGLE TANK	90 CUM
PROPOSED VOLUME @ 3 NOS. TANK	90 CUM

**SET BACK CALCULATION**

Total covered area = 28842.24 SQM  
 Total site area = 20335.0 SQM  
 Land use coverage = 14.18 %  
 FAR = 2.0  
 Proposed ground coverage = 7369.95 SQM  
 Proposed F-A-R = 28842.24

**SET BACK**

FRONT	8.5
REAR	5.0
SIDE-1	3.0
SIDE-2	3.0

**LANDSCAPE / GREEN AREA**




SYMBOL	AREA (IN SQ.MT)
L-1	2061.32
<b>TOTAL</b>	<b>2061.32</b>

**PARKING AREA IN SET BACK**

AREA AT SET BACK @ 1500	3193.52
TOTAL SET BACK	2061.32

**NUMBER OF UNITS CHART**

TYPE	NO. OF UNITS	NO. OF UNITS	NO. OF UNITS	TOTAL
TYPE 1	14	16	15	45
TYPE 2	1	1	1	3
TYPE 3	1	1	1	3
TYPE 4	1	1	1	3
TYPE 5	1	1	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>59</b>



**KEY PLAN (not to scale)**